

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4437 का उत्तर

शयनयान/सामान्य कोच में स्वच्छता मानक

4437. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राजेश वर्मा:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती शांभवी:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने रेलवे के शयनयान और सामान्य कोचों में स्वच्छता मानकों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) लंबी दूरी की ट्रेनों में स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता और अपशिष्ट निपटान में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या नियमित संपरीक्षा और स्वच्छता रैंकिंग प्रणाली में सामान्य श्रेणी के यात्रा अनुभव को शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार किस प्रकार यात्रा की सभी श्रेणियों में स्वच्छता में एकरूपता सुनिश्चित करने जा रही है; और
- (ङ) उक्त सुधार आर्थिक रूप से कमज़ोर रेल उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण में किस प्रकार सहायक होंगे?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल सभी श्रेणी के यात्रियों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

इस संबंध में की गई प्रमुख पहलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

- सवारी डिब्बों में जैव-शौचालय संस्थापित करके रेलगाड़ियों से मानव अपशिष्ट के सीधे डिस्चार्ज को समाप्त करना। जैव-शौचालय के प्रावधान का ब्यौरा (30.06.2025 तक) निम्नानुसार है:

अवधि	लगाए गए जैव-शौचालयों की संख्या
2004-14	9,587 केवल
2014-25	3,33,191 (34 गुना से अधिक)

- प्राथमिक और द्वितीयक अनुरक्षण के दौरान शयनयान और सामान्य डिब्बों सहित सभी यात्री डिब्बों की मशीनीकृत सफाई की जा रही है। उच्च दाब जेट क्लीनर, फ्लोर स्क्रबर, गीले और सूखे वैक्यूम क्लीनर आदि जैसी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 200 डिपो में मशीनीकृत सफाई के ठेके हैं।
- मार्ग में निर्धारित ठहरावों के दौरान चिन्हित गाड़ियों (शयनयान और सामान्य डिब्बों सहित) की सीमित मशीनीकृत सफाई हेतु नामित स्टेशनों पर क्लीन ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) अवधारणा का कार्यान्वयन। लगभग 60 सीटीएस स्टेशनों को नामित किया गया है।
- लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में, रेलगाड़ियों के चालन के दौरान सवारी डिब्बों के शौचालयों, दरवाजों, गलियारों और यात्री सवारी डिब्बों की सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस) उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में, लगभग 1350 जोड़ी रेलगाड़ियों में ओबीएचएस सुविधा उपलब्ध है।
- सभी सवारी डिब्बों में कीट एवं कृन्तक नियंत्रण नियमित तौर पर किया जाता है।
- रेलगाड़ियों के अंदर उत्पन्न अपशिष्ट को इस उद्देश्य के लिए चिन्हित लगभग 500 निर्दिष्ट मार्ग स्टेशनों पर एकत्रित करके निपटाया जाता है।

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान और स्वच्छता अभियान/अभियान नियमित रूप से भारतीय रेल पर आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार प्राप्त करना है।
- स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, सामान्य श्रेणी पर विशेष ध्यान देते हुए, मंडल, क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षकों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित जांच/औचक जांच की जाती है।
- रेल मदद पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि यात्री अपनी आवश्यकताओं को बता सकें तथा यात्रा की श्रेणी की परवाह किए बिना मोबाइल ऐप या एसएमएस के माध्यम से यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा आदि के बारे में सहायता प्राप्त कर सकें।
